संख्या- 71 /2017 / 407 /चार-2017 -79 (वि0)/ 2017

प्रेषक,

हीरा लाल
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2017

विषय:- दिनांक 09 जून, 2017 को जनपद लखनऊ एवं मगहर में कबीर जयन्ती के अवसर पर कबीर उत्सव के आयोजन हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 407/सं0नि0-15(18)/2017-18 दिनांक 24 मई, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 09 जून, 2017 को जनपद लखनऊ एवं मगहर में कबीर जयन्ती के अवसर पर कबीर उत्सव के आयोजन हेतु रू0 1,33,200/- (रूपये एक लाख तैंतीस हजार दो सौ मात्र) तथा मगहर के आयोजन हेतु रू0 87000/- (रूपये सत्तासी हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 2,20,200/- (रूपये दो लाख बीस हजार दो सौ मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कबीर उत्सव के आयोजन हेतु रू0 1,33,200/- (रूपये एक लाख तैंतीस हजार दो सौ मात्र) तथा मगहर के आयोजन हेतु रू0 87000/- (रूपये सत्तासी हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 2,20,200/- (रूपये दो लाख बीस हजार दो सौ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियामानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय का विवरण , बिल बाउचर्स सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू0 2,20,200/- (रूपये दो लाख बीस हजार दो सौ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति -आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(हीरा लाल)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- /2017/ 863 /चार-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।